Registered Office:
" Maithri "
132, Cathedral Road,
Chennai 600 086.
India.
CIN : L65993TN2004PLC052856

Tel : 91 44 2811 2472
Fax : 91 44 2811 2449
URL : www.ranegroup.com

Rane (Madras) Limited

//Online Submission//

RML/SE/050/2024-25

October 17, 2024

BSE Limited Listing Centre Scrip Code: **532661**	**National Stock Exchange of India Limited** NEAPS Symbol: **RML**

Dear Sir / Madam,

Sub: Publication of Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI LODR
Ref: Our letter no(s). RML/SE/048/2024-25 and RML/SE/049/2024-25 dated October 17, 2024

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with MCA General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and previous circulars in this regard and order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chennai, we enclose herewith the copy of the advertisements published on October 17, 2024 in **Newspapers - 'Business Standard' (English), 'Hindu Tamizh Thisai' (Tamil) and 'Navbharat Times' (Hindi).**

The notice and advertisement of notice of the meeting of the equity shareholders and unsecured creditors relates to Scheme of Amalgamation of Rane Engine Valve Limited, Rane Brake Lining Limited with and into Rane (Madras) Limited. Copies of the said advertisements are also being made available on the website of the Company at www.ranegroup.com.

We request you to take the above on record as compliance with relevant regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) and disseminate to the stakeholders.

Thanking you.

For **Rane (Madras) Limited**

SUBHA SHREE SRIDHARAN
Digitally signed by SUBHA SHREE SRIDHARAN
Date: 2024.10.17 11:53:23 +05'30'

S Subha Shree
Secretary

Encl: a/a

Newspaper: Business Standard
Language: English
Edition: All editions
Date of Publication: October 17, 2024

I'm back: Omar Abdullah takes charge as J&K CM

5 ministers take oath, including Dy CM from Jammu region and 1 Independent

ARCHIS MOHAN
New Delhi, 16 October

National Conference (NC) leader Omar Abdullah took oath as the chief minister of Jammu and Kashmir on Wednesday, heading the first elected government in the Union Territory since 2019 when its special status was revoked. "I'm back," he posted on X with photographs of him in his office chair.

Congratulating Omar, Prime Minister Narendra Modi wished him the best and said: "The Centre will work closely with him and his team for J&K's progress."

Abdullah, who had also served as chief minister between 2009 and 2014 when Jammu and Kashmir was a full-fledged state, held an introductory meeting with the administrative secretaries to set the tone for his new administration.

Addressing the media soon after the swearing-in ceremony at the Sher-i-Kashmir International Conference Centre in Srinagar, Omar said: "I had said that we will not allow Jammu to feel they do not have a voice or representatives in this government. I have chosen a deputy chief minister from Jammu so the people of Jammu feel that this government is as much theirs as it is of the rest."

As NC Chairman Omar sought to give equal representation to Hindus and to the Jammu region in his council of ministers, Surinder Choudhary took oath as the deputy CM. Of the NC's 42 winning candidates, 35 are from Kashmir and seven from the Jammu region, and only two, Choudhary and Ramban's Arjun Singh Raju, are Hindus. Of the BJP's 29 winning candidates, all are from the Jammu region, of which 28 are Hindus and one a Sikh.

Partyhopper now deputy CM

Choudhary has been a party hopper in his three decades in politics. On Wednesday, the 56-year-old became an unintended beneficiary of a Assembly verdict, where the NC swept the Muslim-dominated Kashmir region and the Bharatiya Janata Party (BJP) the Hindu-dominated Jammu region.

On July 11, 2023, Choudhary had posted on X: "Goodbye BJP". He sought to blame his exit from the BJP on its Jammu and Kashmir (J&K) state unit chief Ravinder Raina, accusing him of indulging in dynastic politics and corruption. Few heeded Choudhary's allegations since the two men vied for the same electoral turf.

In the 2014 Assembly polls, Choudhary, then a People's Democratic Party (PDP) candidate, had lost to Raina from the Jammu region's Nowshera seat in the Rajouri district by 9,503 votes. Fifteen months after he quit the BJP and joined the NC, Choudhary emerged the giant killer of the J&K Assembly polls, defeating Raina from Nowshera by 7,819 votes.

Omar Abdullah flanked by Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi (*right*) and Congress leader Priyanka Gandhi Vadra at the swearing-in of the new Jammu and Kashmir government in Srinagar on Wednesday PHOTO: PTI

WHY JAMMU IS IMPORTANT

- Four Independents support the government – all from the Jammu region
- In the recently concluded Assembly polls, the National Conference–led alliance that also comprised the Congress and CPI (M), won 49 seats
- The alliance won all its Jammu seats in the hilly areas, and none in the Hindu–dominated mainland
- Congress has not joined the council of ministers so far

Poll report card

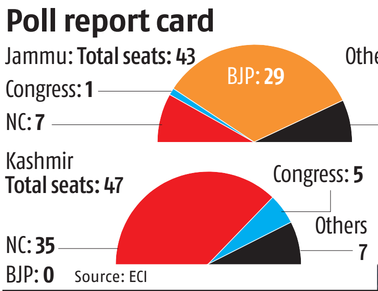

Source: ECI

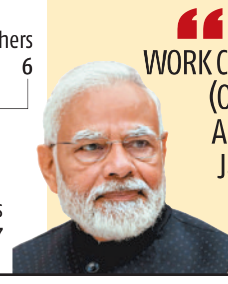

"THE CENTRE WILL WORK CLOSELY WITH HIM (OMAR ABDULLAH) AND HIS TEAM FOR J&K'S PROGRESS"
Narendra Modi
Prime Minister

Choudhary's return to the NC last year revived his chequered political career, which had started with him joining the NC when he was 27 and has included stints in the Bahujan Samaj Party, PDP and the BJP.

He was a member of the erstwhile Legislative Council as a PDP member. Choudhary, who in his election affidavit has declared his educational qualification as 12th pass from Nowshera government school, and ₹2 crore in assets, quit the PDP in 2021. He joined the BJP in March 2022. His posts on X announcing his exit from the party in July 2023 turned out to be prophetic. "The game is afoot. Next government will be of the NC," he had posted.

After taking oath, Choudhary, who is from Pir Panjal in Jammu , said the Omar Abdullah government will resume the 'darbar move' – a bi-annual practice under which the government used to function six months each from Jammu and Srinagar. "It is a proud moment for the people of Pir Panjal in general and my constituency Nowshera (in the Rajouri district) in particular... It is a proud moment for the entire Jammu region," he said.

The six-member council has Choudhary, Satish Sharma (who won as an Independent and later announced support to NC) and Javed Rana, from the Jammu region, while Omar, Sakina Masood Itoo, and Javed Dar represent the Kashmir Valley.

Saini elected BJP legislature chief in Haryana; set to take oath today

PRESS TRUST OF INDIA
Chandigarh/Panchkula, 16 October

Nayab Singh Saini on Wednesday staked claim to form the next government in Haryana, hours after he was unanimously elected as the leader of the BJP legislature party in the state.

Saini will take oath as chief minister on Thursday, his second time. In a departure from tradition, the BJP had declared that Saini would remain chief minister if the party returned to power in Haryana after the Assembly polls.

At a meeting of newly elected Haryana BJP MLAs in Panchkula, Saini was unanimously picked as the leader of the BJP legislature party.

His name was proposed by MLA Krishan Kumar Bedi and seconded by Anil Vij, who had thrown his hat in the ring for the chief minister's post despite the party backing Saini. The announcement in this regard was made by Union Home Minister Amit Shah.

Shah and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav attended the meeting as central observers of the BJP.

Later, Saini met Haryana Governor Bandaru Dattatreya at the Raj Bhavan in Chandigarh and staked claim to form the government in the state. Saini had replaced Manohar Lal Khattar as the chief minister of Haryana in March.

The BJP secured an unprecedented third term in Haryana, winning 48 seats in the 90-member Assembly.

'Maha's pre-poll welfare schemes unlikely to hit state's fiscal health'

ABHIJIT LELE
Mumbai, 16 October

The series of welfare schemes announced by the Maharashtra government ahead of the Assembly elections is unlikely to hit the fiscal health of the state in the financial year 2025 (FY25), according to rating agency ICRA. The agency said that the state's market borrowings remained within prudential norms.

Responding to queries at a webinar on state finances, Aditi Nayar, chief economist, ICRA, said Maharashtra specifically has had many years of running a fiscal deficit, which was well below the threshold.

Over a period of time, their debt levels also did not grow at the same pace as many other states and it was one of the states with the lowest debt to GDP ratio in the entire sample (of 13 states), Nayar added.

The debt to gross state domestic product (GSDP) ratio for Maharashtra stood at 15.5 per cent in FY24.

Ahead of Assembly polls, the coalition government led by Chief Minister Eknath Shinde in the state has announced a number of welfare schemes, including crediting ₹1,500 per month in accounts of women from low-income category.

The ICRA chief economist said Maharashtra fared quite well even on the front of guarantees. As of now, their leverage levels are amongst the lowest in the sample. There was a long period where the state did not extend any fresh guarantees and the earlier guarantees which were there got extinguished over a period of time.

MAHA FINANCES

(%)	Debt/ GSDP	Guarantee/ GSDP
FY21	17.0	1.6
FY22	15.5	1.6
FY23	14.7	1.4
FY24*	15.5	1.9

*Provisional Actuals
Note: Debt includes internal debt, loans from Centre, and Small Savings and Provident Fund; GSDP refers to gross state domestic product
Sources: State Budgets, National Statistical Office, Comptroller and Auditor General of India, ICRA Research

PM, NDA CMs and Dy CMs to attend half-day conclave in Chandigarh today

Several of the 20 National Democratic Alliance (NDA) chief ministers (CMs) and deputy CMs will participate in a half-day conclave in Chandigarh on Thursday, which the Bharatiya Janata Party (BJP) termed as "first of its kind after several years". Prime Minister Narendra Modi will be present at the meeting. "The discussions will cover a structured agenda, including national development issues," the BJP said in a press statement. Union ministers JP Nadda, who is also the BJP chief, Amit Shah, and Andhra Pradesh CM N Chandrabau Naidu will also be present. BS REPORTER

Never called for closure of madrasas: NCPCR chief

The apex child rights body, NCPCR chairperson Priyank Kanoongo said he never called for the closure of madrasas but recommended state funding to these institutions be stopped as they are depriving poor Muslim children of education. He said that Muslim children from impoverished backgrounds are often pressured into religious schooling over secular education. We advocate for equitable educational opportunities for all children, he said. In a recent report, NCPCR called for stopping the state funding unless they comply with the Right to Education Act. PTI

Newspaper: Hindu Tamizh Thisai
Language: Tamil
Edition: Tamil Nadu
Date of Publication: October 17, 2024

சென்னையில் மழைநீர் எங்கும் நிற்காததே வெள்ளை அறிக்கை

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பழனிசாமிக்கு துணை முதல்வர் உதயநிதி பதில்

சென்னை

மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி வெள்ளை அறிக்கை கோரியிருந்தார். "தற்போது சென்னையில் மழைநீர் தேங்காமல் உள்ளதே, அதுதான் வெள்ளை அறிக்கை" என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதில் அளித்துள்ளார்.

சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் கடந்த அக்.14-ம் தேதி இரவு முதல் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. அன்று நள்ளிரவு முதலே துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னையின் பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினமும் ஒவ்வொரு பகுதியாகச் சென்று ஆய்வு செய்து, மழைநீர் தேங்காமல் தடுக்கும் பணிகளை துரிதப் படுத்தினார்.

இந்நிலையில் நேற்று மழை ஓய்ந்தநிலையில், சென்னையில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த மழைநீர் வடிந்துள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வெங்கட்ரங்கம் பிள்ளை தெருவில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதனையும் உணவுக் கூடத்தையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அங்கு வந்திருந்த மக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

முன்னதாக கடந்த 2 நாட்களாக மழைக் காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் பணியாளர்கள் என மொத்தம் 600 முன்களப் பணியாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர். இதன்படி சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி சட்டப்பேரவை அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்வில் போர்வை, பிரட், பிஸ்கட் உள்ளிட்ட நிவாரணை பொருட்களையும், ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகையையும் அவர்களுக்கு உதயநிதி வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: சென்னையில் கடந்த 14-ம் தேதி இரவும், அதைத் தொடர்ந்து 15-ம் தேதி பகலிலும் அதிக கனமழை பெய்தது. இதையொட்டி முதல்வர் ஸ்டாலினின் ஆலோசனைக்கு இணங்க அனைத்து அதிகாரிகள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், எம்.பி.க்கள், கவுன்சிலர்கள் என அனைவரும் களத்தில் இறங்கி பணியாற்றினார்கள். தற்போது மழை குறைந்துள்ளது. மீண்டும் கனமழை பெய்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயார் நிலையில் உள்ளது.

மழையின்போது நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்கள், மெட்ரோ பணியாளர் உள்ளிட்ட முன்களப் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை கோரியிருக்கிறார். சென்னையில் தற்போது மழை நீர் எங்கும் நிற்காமல் உள்ளதே, அதுதான் வெள்ளை அறிக்கை. இவ்வாறு கூறினார்.

இந்நிகழ்வுகளில் தயாநிதி மாறன் எம்.பி., மாநகராட்சி நிலைக் குழு தலைவர் சிற்றரசு, மண்டல குழுத் தலைவர் எஸ்.மதன்மோகன், மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலர் மு.பிரதாப் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

திருநின்றவூர்

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருநின்றவூரில் உள்ள ஈசா ஏரிக்கு, திருநின்றவூர் நகராட்சி பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் எளிதாக செல்லும் வகையில், சமீபத்தில் நீர்வளத் துறை சார்பில் நீர் வழிப்பாதைகள் சீரமைக்கப்பட்டன; ஏரியின் கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டன. அதனை நேற்று உதயநிதி பார்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் கனமழையால் 891 குளங்கள் நிரம்பின

90 அணைகள், நீர்த்தேக்கங்களில் 60 சதவீதம் நீர்இருப்பு

சென்னை

தமிழகத்தில் பரவலாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 90 அணைகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களில் சுமார் 60 சதவீதம் நீர்இருப்பு உள்ளது. 38 மாவட்டங்களில் உள்ள மொத்த ஏரிகளில் 891 குளங்கள் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளன.


நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் புழல் ஏரி நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிவிட்டது. தொடங்கியது முதலே கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், அணைகள், நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. ஏற்கெனவே நிரம்பியுள்ள நீர்நிலைகளுக்கு வரும் தண்ணீர் உபரி நீராக அப்படியே வெளியேற்றப்படுகிறது. உபரிநீர் வெளியேறும் நீர்நிலைகளை உன்னிப்பாக கண்காணிக்க அதிகாரிகளுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

அணைகள், நீர்த்தேக்கங்கள், குளங்களில் உள்ள நீர்இருப்பு குறித்து நீர்வள ஆதாரத் துறை தெரிவித்திருப்பதாவது:

தமிழகத்தில் சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி மண்டலங்களில் உள்ள 90 அணைகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களில் மொத்த கொள்ளளவு 2 லட்சத்து 24,927 மில்லியன் கனஅடியாகும். நேற்றைய நிலவரப்படி 1 லட்சத்து 33,661 மில்லியன் கனஅடி (59.59 சதவீதம்) நீர் இருப்பு உள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் 38 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 14,139 குளங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 891 குளங்கள் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளன. அதில், அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 310 குளங்கள் நிரம்பியுள்ளன. 1,832 குளங்களில் 99 சதவீதமும், 2,096 குளங்களில் 51 முதல் 75 சதவீதமும், 2,801 குளங்களில் 26 முதல் 50 சதவீதமும், 4,949 குளங்களில் ஒன்று முதல் 25 சதவீதமும் நீர்இருப்பு உள்ளது. 1,570 குளங்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு கிடக்கின்றன. இவ்வாறு நீர்வள ஆதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

பாயின்ட்டில் இருந்த நட்டு, போல்ட்கள் மாயம்

கவரைப்பேட்டை ரயில் விபத்துக்கு நாசவேலை காரணமா?

ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர், போலீஸார் விசாரணை

சென்னை

கவரைப்பேட்டை ரயில் விபத்து குறித்து பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் கொண்ட கூட்டுக்குழு விசாரணை அறிக்கையில், ரயில் பாதையில் முக்கியமான பாயின்ட்டில் இருந்த நட்டுகள் மற்றும் போல்ட்கள் காணாமல் போய் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், நாசவேலைக்கு சாத்தியம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.


விபத்தில் தடம் புரண்ட ரயில் பெட்டிகள். (கோப்புபடம்)

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கவரைப்பேட்டை ரயில் நிலையம் அருகே கடந்த 11-ம் தேதி இரவு நின்றுகொண்டிருந்த சரக்கு ரயில் மீது கர்நாடகா மாநிலம் மைசூரில் இருந்து பிஹார் மாநிலம் தர்பங்கா நோக்கிச் சென்ற பாக்மதி விரைவு ரயில் மோதியது. இதில் 13 பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. இந்த விபத்தில் 19 பேர் காயமடைந்தனர். உயிரிழப்பு ஏதுமில்லை.

விபத்து நடந்த இடத்தில் தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, அங்கிருந்த 'ஸ்விச் பாயின்ட்' போல்ட்கள் கழற்றப்பட்டு இருந்ததும், இது வழக்கத்துக்கு மாறாக இருந்ததும் தெரிய வந்தது. தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டு, ஆய்வு மேற்கொண்டு மாதிரிகளை எடுத்துச் சென்றனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, ரயில் நிலைய அதிகாரி முனிபிரசாத் பாபு அளித்த புகாரின்பேரில் கொருக்குப்பேட்டை போலீஸார் 4 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிந்தனர். 3 டிஎஸ்பி-க்கள் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இவர்கள் 3 குழுக்களாக பிரிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், இந்த விபத்து குறித்து பல துறை அதிகாரிகள் கொண்ட குழு விசாரணை நடத்த ரயில்வே நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. இதன்பேரில், சம்பவ இடத்தை 4 மூத்த பொறியாளர்கள் உட்பட 7 அதிகாரிகள் கொண்ட குழு ஆய்வு செய்து 12-ம் தேதி அறிக்கை சமர்ப்பித்தது.

இதில், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து இக்குழு எந்த முடிவுக்கும் வரவில்லை. விபத்தால் ரயில் பெட்டிகள் மற்றும் பிற ரயில்வே சொத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே அறிக்கை இருந்தது. ரயில் பாதையில் ஒரு முக்கியமான பாயின்ட்-ல் இருந்த நட்டுகள் மற்றும் போல்ட்கள் காணாமல் போய் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக் குழு அதிகாரிகள் கையெழுத்திட்டு எழுத்துப்பூர்வ அறிக்கை, விபத்து நடந்த அதேநாளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என்று ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இதுகுறித்து ஒரு மூத்த ரயில்வே அதிகாரி கூறும்போது, "ரயில் விபத்துக்கு நாசவேலை காரணம் என்ற கோணத்தை நிராகரிக்க முடியாது" என்றார். தமிழக ரயில்வே காவல் கண்காணிப்பாளர் ஈஸ்வரிடம் கேட்டபோது, "விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் போல்ட்கள், நட்டுகள் கழன்று இருந்துள்ளது. எனவே, சதிவேலையாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. விரைவில் விபத்துக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிப்போம்" என்றார்.

இன்றும் விசாரணை

இதனிடையே விபத்து தொடர்பாக, ரயில்வே தென் மண்டல பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ.எம்.சவுத்ரி சென்னையில் நேற்று விசாரணையை தொடங்கினார். அவருடன் சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் விஸ்வநாத் ஈர்யா, முதன்மை தலைமை பாதுகாப்பு அதிகாரி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர். 13 துறை அதிகாரிகளிடம் அவர் விசாரணை நடத்த உள்ளார். முன்னதாக ரயில் நிலைய மேலாளர், பாய்ன்ட் மென், இதர பொறியாளர் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தினார். ஒவ்வொருவரிடம் 30 நிமிடம் முதல் 45 நிமிடம் வரை விசாரணை மேற்கொண்டார். இரண்டாவது நாள் விசாரணை இன்று (அக்.17) நடைபெறுகிறது.

ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற உமர் அப்துல்லாவுக்கு ஸ்டாலின் வாழ்த்து

சென்னை

ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள உமர் அப்துல்லாவுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் நேற்று வெளியிட்ட சமூக வலைதளப்பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள உமர் அப்துல்லாவுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவர் பரூக் அப்துல்லா பதவியேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். தமிழகத்தில் பெய்துவரும் கனமழையின் காரணமாக கண்காணிப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளதால், திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவரான கனிமொழியை என் சார்பாகவும் திமுக சார்பாகவும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்க அனுப்பி வைத்தேன்.

இந்தியத் துணைக் கண்டத்தில் தென் முனையில் உள்ள தமிழகமும் வடமுனையில் உள்ள ஜம்மு காஷ்மீரும் உரக்கக் குரலெழுப்பும் மாநில உரிமைகளை வென்றெடுக்கும் ஜனநாயகப் போராட்டத்தில் இணைந்து பயணிப்போம். வெற்றி காண்போம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ரேஷன் கடைகளில் பருப்பு, பாமாயில் தடையின்றி விநியோகம்: அமைச்சர் உறுதி

சென்னை

ரேஷன் கடைகளில் பருப்பும், பாமாயிலும் தீபாவளிக்குத் தங்கு தடையின்றி வழங்கப்படும் என்று உணவுத்துறை அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: அக்டோபர் மாதத்துக்கான துவரம் பருப்பு ஒதுக்கீடு 20,751 மெட்ரிக் டன்னில் நேற்று முன்தினம் அக்.15-ம் தேதி வரை 9,461 மெட்ரிக் டன் பருப்பு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது. 2.04 கோடி பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் ஒதுக்கீட்டில் 97.83 லட்சம் பாக்கெட்டுகள் விநியோகிக்கப்பட்டுவிட்டன. மீதமுள்ளவை விரைவாக விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆதலால் தீபாவளிக்கு எவ்விதத் தட்டுப்பாடின்றி துவரம் பருப்பும், பாமாயிலும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை பவுன் ரூ.57,120-க்கு விற்பனை

சென்னை

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.360 அதிகரித்து ரூ.57,120-க்கு விற்பனையாகிறது. இதன்மூலம், தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளதால், வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சர்வதேச பொருளாதார நிலவரத்துக்கு ஏற்ப தங்கம் விலையில் அவ்வப்போது மாற்றம் ஏற்பட்டு உயர்ந்தும், குறைந்தும் விற்பனையாகி வருகிறது.

கடந்த மாதம் 25-ம் தேதியன்று தங்கம் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.60 அதிகரித்து ரூ.7,060-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ரூ.56,480-க்கும் விற்பனையானது. இதன்மூலம், தங்கம் விலை ஒரு பவுன் ரூ.56,480-ஆக அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை எட்டியது.

இந்நிலையில், தங்கம் விலை நேற்று அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை அடைந்தது. இதன்படி, கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.45 அதிகரித்து ரூ.7,140-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.360 அதிகரித்து ரூ.57,120-க்கும் விற்பனையானது. இதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கத்தின் விலை ரூ.60,760-க்கு விற்பனையாகிறது.

இதனிடையே நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.103-க்கு விற்பனையானது. ஒரு கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை நேற்று ரூ.1,03,000 ஆக உள்ளது.

Newspaper: Navbharat Times
Language: Hindi
Edition: All Editions
Date of Publication: October 17, 2024

फटाफट खबरें

थप्पड़ केसः शिक्षिका को अग्रिम जमानत नहीं

■ भाषा, मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने एक विशेष समुदाय के छात्र को थप्पड़ पड़वाने के मामले में आरोपी शिक्षिका की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि मामले में अग्रिम जमानत का कोई वास्तविक आधार नहीं है। अगस्त 2023 की घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिक्षिका कक्षा के छात्रों से पीड़ित लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थीं और सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थीं।

CEC के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

■ विस, देहरादूनः चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) राजीव कुमार के हेलिकॉप्टर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी वजह खराब मौसम बताई गई है। हेलिकॉप्टर मिलम की तरफ जा रहा था। सीईसी के साथ राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे भी थे। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कुमार का मिलम से नंदा देवी बेस कैम्प ट्रेकिंग के लिए जाने का प्लान था। पायलट ने खतरा महसूस होते ही हेलिकॉप्टर को पास में ही एक खेत में सेफ लैंडिंग करा दी।

BJP विधायक पर हमला, 2 पर FIR

■ पीटीआई, लखीमपुर खीरीः लखीमपुर खीरी में BJP के विधायक योगेश वर्मा पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने जिला बार असोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनकी पत्नी व अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (यूसीबी) की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह घटना नौ अक्टूबर को यूसीबी के बोर्ड चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान हुई थी।

बनारस में गंगा ब्रिज पर ऊपर गाड़ियां और नीचे चलेंगी ट्रेनें

■ एनबीटी, वाराणसी

वाराणसी में गंगा पर प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज प्रॉजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। रेल मंत्रालय के इस सबसे बड़े रोड-रेल ब्रिज प्रॉजेक्ट की अनुमानित लागत 2,642 करोड़ रुपये है। दो फ्लोर वाला सिग्नेचर ब्रिज सिक्स लेन का होगा। नीचे ट्रेनों के लिए चार ट्रैक होंगे। इस ब्रिज के वाराणसी और चंदौली जिले को आपस में कनेक्ट करने से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक की राह आसान हो जाएगी।

सिग्नेचर ब्रिज बनारस में बनने वाले देश में अपने ढंग के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म के तहत 'परिवहन संगम' का हिस्सा होगा। परिवहन संगम स्थल पर रोड, रेल, गंगा में फेरी सर्विस व रोप-वे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध होगी। यह ब्रिज अंग्रेजों के जमाने में 1887 में बने मालवीय पुल (राजघाट) के समानान्तर और नए इंटर मॉडल काशी स्टेशन को केंद्र में रखकर बनेगा। काशी रेलवे स्टेशन का 300 करोड़ से पुनर्विकास का काम शुरू हो गया है।

100 किमी. की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें: वर्तमान मालवीय पुल में दो रेलवे ट्रैक और चार लेन की सड़क है। इस पुल पर से औसत 25 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेनें गुजरती हैं। जबकि सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। नया ब्रिज मौजूदा राजघाट ब्रिज से ठीक दो गुना होने से एक समय में ज्यादा वाहन फर्राटा भर सकेंगे तो एक समय में अप और डाउन लेन से चार ट्रेनें 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से दौड़ेंगी। नए रोड कम ट्रेन ब्रिज से 24 मिलियन टन अतिरिक्त कार्गो की आवाजाही हो सकेगी।

प्रदूषण और डीजल की खपत कम होगी

सिग्नेचर ब्रिज प्रॉजेक्ट से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 10 लाख मानव दिवस की डायरेक्ट जॉब जेनरेट होगी। इस प्रॉजेक्ट से रेलवे का नेटवर्क भी लगभग 30 किलोमीटर बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। अनुमान है कि नए ब्रिज की वजह से 149 करोड़ किलोग्राम सीओ-टू उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। रास्ता आसान होने से डीजल की भी काफी बचत हो सकेगी।

वाराणसीः वजूखाने के सर्वे में SC का आदेश बाधक नहीं

■ एनबीटी, वाराणसी : वाराणसी के ज्ञानवापी के मालिकाना हक को लेकर 1991 में दाखिल मुकदमे में बंद तहखानों समेत पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराने की अर्जी पर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक) युगुल शंभू की अदालत में सुनवाई हुई। स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने एएसआई से अतिरिक्त सर्वे कराने की अर्जी पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर उठाए गए बिंदुओं पर पक्ष रखा। कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और उसमें मिली शिवलिंग जैसी आकृति के सर्वे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को संरक्षित करने आदेश दिया है न कि वजूखाना और शिवलिंगनुमा आकृति के सर्वे पर रोक का। वाद मित्र ने कहा कि जिला जज के आदेश पर एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट में वजूखाने और शिवलिंगनुमा आकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

वादमित्र ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट में कमी रह जाती है तो अदालत अतिरिक्त सर्वे रिपोर्ट मांग सकती है। जहां तक आराजी 9130, 9131 एवं 9132 के सर्वे करने का प्रश्न है तो सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश में स्पष्ट है कि एएसआई को तीनों प्लॉट का सर्वे करना है। वाद मित्र ने ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे स्थापित 100 फुट के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और विशाल अरघे की प्रमाणिकता के लिए, मुख्य गुंबद से हटकर और उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना चार गुणे चार फुट की सुरंग बनाकर सर्वे कराए जाने को जरूरी बताया। वाद मित्र की बहस पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की जवाबदेही के लिए अदालत ने 19 अक्टूबर की तिथि नियत की है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में पहले ही अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर चुका है।

तीसरे दिन भी बंद रहा इंटरनेट

■ एनबीटी बहराइच : बहराइच के महराजगंज कस्बे और दंगा प्रभावित गांवों की स्थिति अब सामान्य हो रही है। बुधवार को जहां हाट बाजारों में चहल-पहल देखने को मिली, वहीं स्कूल भी खुल गए। हालांकि, स्कूलों में बच्चों की आमद हमेशा की अपेक्षा कम थी। एहतियात के तौर पर अभी भी पूरा इलाका पुलिस की छावनी बना हुआ है और पुलिस के आला अफसरों द्वारा पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। हालात सामान्य होने के साथ अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। बुधवार को महसी के सीओ रुपेंद्र गौड़ को हटा दिया गया। उनके स्थान पर रामपुर से आए सीओ रवि खोखर को महसी सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार को स्थानीय प्रशासन की ओर से महराजगंज और उसके आस-पास के इलाके की इंटरनेट सुविधा बाधित करवाई गई थी, जो बुधवार तक बंद है।

पिछले 24 घंटों के दौरान सात और एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें एक एफआईआर पुलिस की ओर से और दर्ज की गई है। जबकि, छह एफआईआर दोनों पक्षों की ओर से और मृतक राम गोपाल मिश्र के परिवार की तहरीर पर दर्ज की गई है। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।


महाराजगंज के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अभी भी तैनात है।

प्रशांत ने बिहार में उतारा उम्मीदवार

■ भाषा, पटनाः प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बुधवार को बिहार की तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाकर चुनावी राजनीति में अपना पहला कदम रखा। बिहार की रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। किशोर ने खुलासा किया कि पार्टी तीन अन्य सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम कुछ ही दिनों में घोषित कर देगी।

मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की राह में आ रही बाधा दूर

■ भाषा, अयोध्याः BJP के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 के चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने के लिए बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का रुख किया। प्रसाद के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका लंबित रहने के कारण मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया। गोरखनाथ ने कहा कि अदालत गुरुवार को मेरी याचिका पर सुनवाई करेगी। गोरखनाथ ने कहा कि वह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए याचिका वापस ले रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अवधेश ने नामांकन दाखिल करते समय गलत शपथ ली थी। आरोप लगाया गया था कि प्रसाद के दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाले नोटरी के पास वैध लाइसेंस नहीं था।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

ध्यान दें

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961/1973 (संशोधित) के तहत प्रशिक्षण के इच्छुक इंजीनियरिंग स्नातक/डिप्लोमा धारकों/स्नातकों (विभिन्न संकाय) हेतु।

अधिसूचना संख्या- सीओ/एपीपीआर/2024/01

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961/1973 (अद्यतन संशोधित) अंतर्गत एक वर्षीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्नातक प्रशिक्षुओं अथवा तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षुओं के तौर पर नामांकन हेतु वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 के दौरान उत्तीर्ण पात्रताधारक, सामान्य संकाय में स्नातक और इंजीनियरिंग (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक/डिप्लोमा की पात्रता धारक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं. प्रशिक्षण, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य में केआरसीएल के विभिन्न स्टेशनों और कार्य स्थलों पर प्रदान की जायेगी।

विषय	चिकित्सा संवर्ग	यूआर	ओबीसी एनसीएल	एस सी	एस टी	ईडब्ल्यूएस	कुल
सिविल इंजीनियरिंग	बी1	14	8	8	2	2	30
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	बी1	10	5	5	1	1	20
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	बी1	6	2	2	0	1	10
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	बी1	10	5	5	1	1	20
डिप्लोमा (सिविल)	बी1	14	8	8	2	2	30
डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल)	बी1	10	5	5	1	1	20
डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक्स)	बी1	6	2	2	0	1	10
डिप्लोमा (मैकेनिकल)	बी1	10	5	5	1	1	20
जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट	सी1	14	8	8	2	2	30
कुल		94	48	48	10	12	190

यूआर-अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी-अनुसूचित जाति, एसटी-अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (एनसीएल)-अन्य पिछड़ी वर्ग-गैर क्रीमी लेयर।

उम्मीदवारों को केआरसीएल में प्रशिक्षण के लिये, केआरसीएल की वेबसाइट - **https://www.konkanrailway.com/** पर क्विक लिंक्स → ग्रेजुएट अप्रेंटिस /टेक्नीशियन अप्रेंटिस के तहत अधिसूचना, पात्रता मानदंड का विवरण देखना चाहिए और **02.11.2024** को या उससे पहले आवेदन करना चाहिए।

दिनांक: 03.10.2024 **मुख्य कार्मिक अधिकारी**

आम नीलामी द्वारा स्क्रेप की बिक्री

मेसर्स सेन्चुरी रेयॉन

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बी. के. बिडला मार्ग, शहाड 421103, जि.थाना
फोन: (0251) 2733670-79 (10 लाइनें)

के आदेशानुसार

मेसर्स तिरूपति एण्ड कम्पनी (नीलामकर्ता)
28/डी, एच.एम. रोड, कोलकत्ता 700025 फोन- 9433137826

द्वारा

दि. 24 अक्टूबर 2024 गुरूवार को सुबह ठीक 9.00 बजे स्क्रेप व निम्नलिखित अन्य सामानों की पब्लिक नीलामी की जायेगी । स्थान-विश्राम भवन, बिरला मन्दिर के पास, शहाड, कल्याण जिला थाना । एम.एस हल्का व भारी स्क्रेप / स्टेनलेस स्टील / अल्युमिनियम / कापर / बिजली की वस्तुएं / प्लास्टिक की वस्तुएं / तार / पेपर / पम्प / बालबियरिंग / कलपुरजे / मशीनरी इत्यादि. स्क्रेप लिस्ट एवं नीलामी के नियम और शर्तें सेन्चुरी रेयॉन की वेबसाईट www.centuryrayon.co.in (https://www.centuryrayon.co.in/homenew.aspx-News & Events) पर भी उपलब्ध है ।

निरीक्षण

शहाड स्थित फैक्ट्री पर 22 एवं 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1.30 से सायं 4 बजे तक। विवरण पत्रिकाएं केटलॉग्स व प्रवेश पत्र नीलामकर्ता व कम्पनी के पास उपरोक्त समय पर सेन्चुरी रेयॉन में उपलब्ध रहेंगे । निरीक्षण के समय कम्पनी परिसर में जूते पहनना आवश्यक है । निलामी हॉल में प्रवेश पाने के लिए ₹ 5000 का IMPS/NEFT, GRASIM INDUSTRIES LIMITED (UNIT CENTURY RAYON) के नाम से करना होगा । पॅन नंबर, जी.एस.टी. नंबर की सही पहचान होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

सूचना

प्रपत्र संख्या सीएए. 2
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) एवं कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और नियम 7 के अनुसार]

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, प्रभाग बेंच चेन्नई

सीए(सीएए)/51 (सीएचई)/2024 के मामले में, जहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन), नियम 2016 पढ़ा गया
एवं
उस मामले में जहाँ
राणे इंजन वाल्व लिमिटेड (आवेदक कंपनी-1/प्रथम हस्तान्तरणकर्ता कंपनी)
और
राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड (आवेदक कंपनी-2/द्वितीय हस्तान्तरणकर्ता कंपनी) का
राणे (मद्रास) लिमिटेड (आवेदक कंपनी-3/हस्तांतरिती कंपनी)
के साथ/ में
और
उनके संबंधित शेयरधारकों के समामेलन की योजना है

राणे (मद्रास) लिमिटेड
सीआईएन: L65993TN2004PLC052856
इसका पंजीकृत कार्यालय मैत्री, 132, कैथेड्रल रोड, चेन्नई 600086

...आवेदक कंपनी-3/हस्तांतरिती कंपनी

राणे (मद्रास) लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना और विज्ञापन

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चेन्नई बेंच ('न्यायाधिकरण') ने उपर्युक्त संयुक्त कंपनी आवेदन में दिनांक 25 सितंबर, 2024 के आदेश ('आदेश') के साथ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के आदेश द्वारा राणे (मद्रास) लिमिटेड ('कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की एक अलग बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 ('कंपनी अधिनियम') की धारा 230-232 के प्रावधानों और उसके अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार राणे इंजन वाल्व लिमिटेड और राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड के साथ और/ में राणे (मद्रास) लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों ("योजना") के प्रस्तावित विलय की योजना पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करना है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुसार, आगे सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएंगी:

- इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को दोपहर 4:00 बजे (आईएसटी) होगी।
- अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 को दोपहर 4:00 बजे (आईएसटी) होगी।

सूचना और विवरण 17 अक्टूबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों / अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी किया जा रहा है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराई है और 17 अक्टूबर, 2024 को भौतिक रूप में उन सदस्यों/अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी किया जा रहा है जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

बैठक की सूचना, व्याख्यात्मक वक्तव्य और संबंधित अनुलग्नकें कंपनी की वेबसाइट www.ranegroup.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। उक्त विलय योजना और धारा 230 के तहत वक्तव्य की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। न्यायाधिकरण ने श्री पी.एस.एन. प्रसाद को अध्यक्ष और श्री रेमंड को बैठक(कों) के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यदि उपर्युक्त योजना को इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा उनकी संबंधित बैठक(कों) में अनुमोदित किया जाता है, तो वह बाद में न्यायाधिकरण की मंजूरी के अधीन होगी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBILODR के प्रावधानों के अनुसार कंपनी सदस्यों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की ई-वोटिंग सेवाओं की मदद से ई-वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस प्रस्ताव पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग सहित) के लिए कट-ऑफ तिथि और उपरोक्त बैठकों पर रिमोट ई-वोटिंग की समय अवधि निम्नानुसार है:

विवरण	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक
कट ऑफ तिथि	13 नवंबर, 2024	14 नवंबर, 2024
रिमोट ई-वोटिंग आरंभ तिथि और समय	रविवार, 17 नवंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)	सोमवार, 18 नवंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि और समय	मंगलवार, 19 नवंबर, 2024 शाम 05:00 बजे (आईएसटी)	बुधवार, 20 नवंबर, 2024 शाम 05:00 बजे (आईएसटी)

बैठकों में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समाप्ति समय के बाद अक्षम कर दी जाएगी। सदस्यों/अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत ऋणदाता जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत ऋणदाता जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के बारे में दिए गए निर्देश इस सूचना के साथ भेजे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजी जा सकती हैं या आप टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

दिनांक: 17 अक्टूबर 2024

पी.एस.एन. प्रसाद
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

सूचना

प्रपत्र संख्या सीएए. 2
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) एवं कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और नियम 7 के अनुसार]

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, प्रभाग बेंच चेन्नई

सीए(सीएए)/51 (सीएचई)/2024 के मामले में, जहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन), नियम 2016 पढ़ा गया
एवं
उस मामले में जहाँ
राणे इंजन वाल्व लिमिटेड (आवेदक कंपनी-1/प्रथम हस्तान्तरणकर्ता कंपनी)
और
राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड (आवेदक कंपनी-2/द्वितीय हस्तान्तरणकर्ता कंपनी) का
राणे (मद्रास) लिमिटेड (आवेदक कंपनी-3/हस्तांतरिती कंपनी)
के साथ/ में
और
उनके संबंधित शेयरधारकों के समामेलन की योजना है

राणे इंजन वाल्व लिमिटेड
सीआईएन: L74999TN1972PLC006127
इसका पंजीकृत कार्यालय मैत्री, 132, कैथेड्रल रोड, चेन्नई 600086

...आवेदक कंपनी-1/प्रथम हस्तान्तरणकर्ता कंपनी

राणे इंजन वाल्व लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना और विज्ञापन

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चेन्नई बेंच ('न्यायाधिकरण') ने उपर्युक्त संयुक्त कंपनी आवेदन में दिनांक 25 सितंबर, 2024 के आदेश ('आदेश') के साथ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के आदेश द्वारा राणे इंजन वाल्व लिमिटेड ('कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की एक अलग बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 ('कंपनी अधिनियम') की धारा 230-232 के प्रावधानों और उसके अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार राणे इंजन वाल्व लिमिटेड और राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड के साथ और/ में राणे (मद्रास) लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों ("योजना") के प्रस्तावित विलय की योजना पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करना है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुसार, आगे सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएंगी:

- इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को सुबह 09:30 बजे (आईएसटी) होगी।
- अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 को सुबह 09:30 बजे (आईएसटी) होगी।

सूचना और विवरण 17 अक्टूबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों / अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी किया जा रहा है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराई है और 17 अक्टूबर, 2024 को भौतिक रूप में उन सदस्यों/अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी किया जा रहा है जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

बैठक की सूचना, व्याख्यात्मक वक्तव्य और संबंधित अनुलग्नकें कंपनी की वेबसाइट www.ranegroup.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। उक्त विलय योजना और धारा 230 के तहत वक्तव्य की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। न्यायाधिकरण ने श्री पी.एस.एन. प्रसाद को अध्यक्ष और श्री रेमंड को बैठक(कों) के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यदि उपर्युक्त योजना को इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा उनकी संबंधित बैठक(कों) में अनुमोदित किया जाता है, तो वह बाद में न्यायाधिकरण की मंजूरी के अधीन होगी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBILODR के प्रावधानों के अनुसार कंपनी सदस्यों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की ई-वोटिंग सेवाओं की मदद से ई-वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस प्रस्ताव पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग सहित) के लिए कट-ऑफ तिथि और उपरोक्त बैठकों पर रिमोट ई-वोटिंग की समय अवधि निम्नानुसार है:

विवरण	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक
कट ऑफ तिथि	13 नवंबर, 2024	14 नवंबर, 2024
रिमोट ई-वोटिंग आरंभ तिथि और समय	रविवार, 17 नवंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)	सोमवार, 18 नवंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि और समय	मंगलवार, 19 नवंबर, 2024 शाम 05:00 बजे (आईएसटी)	बुधवार, 20 नवंबर, 2024 शाम 05:00 बजे (आईएसटी)

बैठकों में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समाप्ति समय के बाद अक्षम कर दी जाएगी। सदस्यों/अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत ऋणदाता जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत ऋणदाता जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के बारे में दिए गए निर्देश इस सूचना के साथ भेजे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजी जा सकती हैं या आप टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

दिनांक: 17 अक्टूबर 2024

पी.एस.एन. प्रसाद
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

सूचना

प्रपत्र संख्या सीएए. 2
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) एवं कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और नियम 7 के अनुसार]

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, प्रभाग बेंच चेन्नई

सीए(सीएए)/51 (सीएचई)/2024 के मामले में, जहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन), नियम 2016 पढ़ा गया
एवं
उस मामले में जहाँ
राणे इंजन वाल्व लिमिटेड (आवेदक कंपनी-1/प्रथम हस्तान्तरणकर्ता कंपनी)
और
राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड (आवेदक कंपनी-2/द्वितीय हस्तान्तरणकर्ता कंपनी) का
राणे (मद्रास) लिमिटेड (आवेदक कंपनी-3/हस्तांतरिती कंपनी)
के साथ/ में
और
उनके संबंधित शेयरधारकों के समामेलन की योजना है

राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड
सीआईएन: L63011TN2004PLC054948
इसका पंजीकृत कार्यालय मैत्री, 132, कैथेड्रल रोड, चेन्नई 600086

...आवेदक कंपनी-2 / द्वितीय हस्तान्तरणकर्ता कंपनी

राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना और विज्ञापन

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चेन्नई बेंच ('न्यायाधिकरण') ने उपर्युक्त संयुक्त कंपनी आवेदन में दिनांक 25 सितंबर, 2024 के आदेश ('आदेश') के साथ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के आदेश द्वारा राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड ('कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की एक अलग बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 ('कंपनी अधिनियम') की धारा 230-232 के प्रावधानों और उसके अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार राणे इंजन वाल्व लिमिटेड और राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड के साथ और/ में राणे (मद्रास) लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों ("योजना") के प्रस्तावित विलय की योजना पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करना है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुसार, आगे सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएंगी:

- इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) होगी।
- अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) होगी।

सूचना और विवरण 17 अक्टूबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों / अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी किया जा रहा है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराई है और 17 अक्टूबर, 2024 को भौतिक रूप में उन सदस्यों/अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी किया जा रहा है जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

बैठक की सूचना, व्याख्यात्मक वक्तव्य और संबंधित अनुलग्नकें कंपनी की वेबसाइट www.ranegroup.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। उक्त विलय योजना और धारा 230 के तहत वक्तव्य की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। न्यायाधिकरण ने श्री पी.एस.एन. प्रसाद को अध्यक्ष और श्री रेमंड को बैठक(कों) के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यदि उपर्युक्त योजना को इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा उनकी संबंधित बैठक(कों) में अनुमोदित किया जाता है, तो वह बाद में न्यायाधिकरण की मंजूरी के अधीन होगी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBILODR के प्रावधानों के अनुसार कंपनी सदस्यों और अप्रतिभूत ऋणदाताओं को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की ई-वोटिंग सेवाओं की मदद से ई-वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस प्रस्ताव पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग सहित) के लिए कट-ऑफ तिथि और उपरोक्त बैठकों पर रिमोट ई-वोटिंग की समय अवधि निम्नानुसार है:

विवरण	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक
कट ऑफ तिथि	13 नवंबर, 2024	14 नवंबर, 2024
रिमोट ई-वोटिंग आरंभ तिथि और समय	रविवार, 17 नवंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)	सोमवार, 18 नवंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि और समय	मंगलवार, 19 नवंबर, 2024 शाम 05:00 बजे (आईएसटी)	बुधवार, 20 नवंबर, 2024 शाम 05:00 बजे (आईएसटी)

बैठकों में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समाप्ति समय के बाद अक्षम कर दी जाएगी। सदस्यों/अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत ऋणदाता जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत ऋणदाता जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के बारे में दिए गए निर्देश इस सूचना के साथ भेजे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजी जा सकती हैं या आप टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

दिनांक: 17 अक्टूबर 2024

पी.एस.एन. प्रसाद
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष